राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः4(1)वित्त1(1)आ.व्य./2024 जयपुर, दिनांक : 10 मार्च, 2025

परिपत्र

विषयः– वर्ष 2024–2025 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अनुपूरक मांगों को राजस्थान विधान सभा द्वारा स्वीकार कर तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (सं. 1) विधेयक, 2025 को दिनांक 28.02.2025 को पारित कर दिया गया है। इस विनियोग विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति (Assent) प्राप्त हो गई है। अतः अनुपूरक अनुदानों के विनियोग का इकाई वार विवरण (Details of Unit-wise Appropriation) स्पष्टीकारक स्मृति पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अब संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी/विभाग निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उनके नियंत्रणाधीन बजट शीर्ष में अनुमोदित राशियों का उपयोग कर सकेगें:–

1. 'केन्द्रीय सहायता' से संबंधित योजनाओं में भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने एवं राशि राज्य कोष में जमा हो जाने के पश्चात् ही व्यय किया जाए ;
2. व्यय बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाए ;
3. नवीन पद सृजन आदि पर व्यय करने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार की विशिष्ट स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाए तथा ;
4. बचत रहने की स्थिति में बचत के विस्तृत कारण देते हुए बचत राशि को समर्पित करने के लिए नियमानुसार समय पर ही कार्यवाही की जाए।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

10.03.25

(देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

(कृ.पृ.उ.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, उप मुख्य मंत्री महोदया (वित्त)
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव, वित्त विभाग।
9. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को उनकी आज्ञा संख्या डी–26/मं.मं./2025 दिनांक 20.02.2025 की अनुपालना के संदर्भ में।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[०3 /2025]